IN THE COURT OF A.D.J. IIIrd, JAMUI

S.T. 249/2021

Arising out of P.S. Case No. Jhajha 336/2020, GR 2863/2020

---

1. Ranjan Kumar Ray @ Ranjan Kumar S/o Janardan Prasad Ray
Resident of Village-Dhabathiya, P.S.- Jhajha and Dist.- Jamui

---------- Petitioner.

Versus

The State of Bihar

---------- Respondent.

S. No.	Date	Order	Remarks
1.	21-10-2021	काराधीन आवेदक/अभियुक्त रंजन कुमार राय उर्फ रंजन कुमार की ओर से धारा 439 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत जमानत आवेदन दाखिल किया गया। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क यह है कि संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है कि दिनांक 23.09.2020 को नौ बजे सुबह सूचिका हिना खातून अपने भाई आफताब अंसारी के साथ मोटरसाइकिल से झाझा इलाज कराने आ रही थी, संत् जोसेफ स्कूल से डेढ़ किलोमीटर पीछे जंगल के पास झाझा की तरफ से दो मोटरसाइकिल पर तीन–तीन व्यक्ति सवार होकर उनलोगों के मोटरसाइकिल के पास पहुंचे और मोटरसाइकिल का चाबी जबरदस्ती खींच लिए तथा सूचिका एवं उसके भाई को अपराधियों ने मोटरसाइकिल से उतार लिया तथा आफताब अंसारी के साथ अपराधी फैट–मुक्का से मारपीट किए तथा सभी अपराधी ने सूचिका से मोबाइल एवं पच्चीस सौ रूपया नकद छीन लिया तथा हल्ला करने पर दो अपराधी सूचिका का मुंह बंद कर जंगल के तरफ ले जाने लगे तो आफताब अंसारी जमीन से पत्थर उठाकर उन अपराधियों पर चलाने लगा तो दो अपराधी ने अपने कमर से पिस्तौल निकालकर अफताब अंसारी पर चला दिया जो आफताब अंसारी के बाएं बांह में दो गोली लगा तथा गोली लगने से आफताब जमीन पर गिर गया फिर छः अपराधकर्मी मोटरसाइकिल से भाग गये तथा आवेदक का अन्य कोई जमानत आवेदक इस न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में लंबित नहीं है तथा आवेदक का जमानत आवेदन विद्वान मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी जमुई ने खारिज कर दिया है तथा आवेदक निर्दोष है तथा उन्हें इस वाद में झूठा फंसाया गया है तथा प्राथमिकी में आवेदक का नाम नहीं है तथा आवेदक बिना किसी अपराध कारित किए दिनांक 14.12.2020 से काराधीन है तथा आवेदक श्रीमान के आदेशानुसार बंध–पत्र दाखिल करने के लिए तैयार हैं। अतः प्रार्थना है कि आवेदक को जमानत प्रदान करने की कृपा की जाय। विद्वान अपर लोक अभियोजक आवेदक के जमानत आवेदन का विरोध करते हैं। उभयपक्षों के तर्कों को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक दिनांक 14.12.2020 से काराधीन है तथा उसके विरूद्ध इस वाद में आरोपित धारा	

	लगातार 21.10.2021	397 एवं 307 भा0द0वि0 एवं धारा 27 शस्त्र अधिनियम हैं, जो अजमानतीय है तथा आवेदक पर प्राथमिकी में आरोप है कि उसने अन्य अपराधकर्मियों के साथ मिलकर घटना की तिथि एवं समय को सूचिका से 2500/– रू0 नगद एवं मोबाईल की लूट कारित किया है तथा केस डायरी की कंडिका 2 में वादीनी ने अपने पुनः बयान में एवं कंडिका 7 में साक्षीं ने अपने बयान में प्राथमिकी का समर्थन किया है तथा कंडिका 14 से विदित होता है कि आवेदक एवं उसके दो अन्य साथियों को पुलिस ने दिनांक 25.09.2020 को गिरफतार किया तथा उनके पास से हथियार, गोली, मोबाइल एवं पच्चीस सौ रूपया बरामद कर जप्ती सूची तैयार किया तथा उसके लिए अलग से झाझा थाना काण्ड संख्या 337/2020 अंतर्गत धारा 25 (1बी)ए/26/35 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया तथा केस डायरी की कंडिका 15 में आवेदक रंजन कुमार राय का अपराध स्वीकारोक्ति बयान अंकित है जिसमें उसने स्वयं की इस काण्ड की घटना में संलिप्तता के संबंध में कथन किया है तथा कंडिका 18 में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, झाझा ने अपने पर्यवेक्षण टिप्पणी में आवेदक के विरूद्ध इस घटना को सत्य पाया है तथा केस डायरी की कंडिका 28 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुसंधानकर्ता ने आवेदक के विरुद्ध घटना को सत्य पाते हुए आरोप पत्र सं0 32/21 दिनांक 22.02.21 समर्पित कर दिया है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर मैं आवेदक/अभियुक्त रंजन कुमार राय उर्फ रंजन कुमार को जमानत पर मुक्त करना न्यायोचित एवं युक्तियुक्त नहीं समझता हूँ। तदनुसार आवेदक/अभियुक्त रंजन कुमार राय उर्फ रंजन कुमार का जमानत आवेदन खारिज किया जाता है। लेखापित -sd- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई।	